

पूरी रकम वसूल पायी

RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर PAYEE'S SIGNATURE

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी

ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

वैधता- जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और द्वितीय कमीशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।

Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

प्र.मु.है / S.P.P.HYD



CRIME INVESTIGATION AGENCY

Corp office: Khargupur Bazar Gonda U.P 271204 Zonal Office: Gandhi Nagar Utraula Distt-Balrampur U.P. 271604
Reg. Office: First Floor Karamat Market Nishat Ganj Lucknow
Help Line No.: +91-9839112790, 8840457967 Website : www.ciaindia.org.in E-mail-ciahelp2016@gamil.com

Ref. C.I.A. 223/17

Date 01-09-17

हमारा प्रयास भय भ्रष्टाचार मुक्त समाज

सेवामें

जन सूचना अधिकारी / भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आवेदन।

महोदय

सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि संलग्नक पत्र
DO1218092/2017 दिनांक 03/02/2017 को आपको श्रीमान
वैभव डांगे जी निजी सचिव सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत
परिवहन मंत्री भारत सरकार जी के द्वारा आपको प्रेषित किया गया
था उस पर क्या कार्यवाही की गयी।

- RTI
- 810
- 1- दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने की कृपा करें।
 - 2- कार्यवाही कर आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करयें।
- निम्ननांकित सूचना प्राप्त करने के लिए नियमानुसार 10रु० का
भारतीय पोस्टल आर्डर सं० 37F 049303 संलग्न है।

सादर धन्यवाद।

जय हिन्द जय भारत



अजय प्रताप सिंह

चेयरमैन

क्राइम इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी (CIA)

नगर पंचायत खरगूपुर जिला गोण्डा उ० प्र०

पिन कोड— 271204

मो० — 08840457967

O/o C. R. Section (RTH)

Date: 12/4/17 / 2017 / CR

Date: 5-9-2017

2 Sam P. (sum)
to REE (tell)
Fr. G. Deshpande
A
16/9
8/12/17

वैभव डांगे
VAIBHAV DANGE



निजी सचिव
सड़क परिवहन, राजमार्ग
एवं पोत परिवहन मंत्री
भाषण सचिव
PRIVATE SECRETARY TO
MINISTER OF ROAD TRANSPORT
HIGHWAYS AND SHIPPING
GOVERNMENT OF INDIA

128092

12

03 फरवरी, 2017

प्रिय श्री अजय जी,

माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित आपका दिनांक 27.01.2017 का पत्र प्राप्त हुआ, जो कि संस्था काइम इन्वेस्टीगेशन एसेन्सी (CIA) के पदाधिकारियों को टोल टैक्स से मुक्त करने के संबंध में है।

उपर्युक्त पत्र को अग्रिम कार्रवाई हेतु संयुक्त सचिव (टोल) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित कर दिया है।

सादर,

आपका,

(वैभव डांगे)

श्री अजय प्रताप सिंह

चेयरमैन

काइम इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी

नगर पंचायत खरगूपुर,

जिला गोण्डा

उत्तर प्रदेश - 271204

सेवा में,

श्री अजय प्रताप सिंह

चेयरमैन

क्राइम इन्वेस्टीगेशन एजेंसी

नगर पंचायत खरगपुर, जिला गोण्डा

उत्तरप्रदेश, पिन कोड - 271204

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री अजय प्रताप सिंह से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 05.08.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनांक 14.08.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सुचना मांगे जाने के संबध में है।

2. इस संबध में यह देखा गया है कि आपके दारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नही किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10 रु0 का IPO 36 F 374022 इसके साथ वापस किया जा रहे है।

भवदीय

धनश्याम मीना

घनश्याम मीना

अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

